

22.04.25

पत्रावली पेश। उभय पक्ष वकील उप।
अप्रार्थी सं. 16 की ओर से
जवाब पेश नहीं किये जाने पर इनका
जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी सं.

18 से 20 को रुक-रुक कर तीन

बार आवाज लगाई, कोई उपस्थित

नहीं होने से इनके विकल्प एकपक्षीय

कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा

की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा

बहस कर निवेदन किया कि मौजा

सांचौर के खसरा नं. 124, 554/3441,

554/3442, (~~209 पुस्तक~~), कुक्वा कुमवा: 0.42,

0.26, 0.03 हेक्टेयर, मौजा डूंगरा का

गोखिया के खसरा नं. 1669, 1670,

सहायक अधिवक्ता, सांचौर
(न्यायमण्डल अधिकारी, सांचौर)

1671, 1672 रकबा कुमशा 1.11, 1.06,
 1.05, 1.09 हेक्टेयर, मौजा सांचौर के
 खेत ख. न. 560, 561, 562, 563,
 564, 565, 570/3081, 570/3080,
 रकबा कुमशा: 0.08, 4.13, 3.19, 1.98,
 0.01, 2.60, 0.30, 0.45 हेक्टेयर
 जमी में प्रार्थिया का बाय बर्ष है
 हिस्सा कानूमी बनना है। परंतु अप्रार्थिगण
 उक्त वारदात जमी कितनी अजनबी व्यक्ति
 को बैचान करने पर छामदा है। अतः
 अप्रार्थिगण को अरुपाई निषेधाजा से
 पाबंद फरमावे।


अप्रार्थिगण अधिकता ने उक्त तथ्यों
 का खोर विरोध विरोध करते हुए बंध
 में निवेदन किया कि प्रार्थिया द्वारा स.
 दानाराम की पुत्री होने का कोई सबूत
 पेश नहीं किया है। तथा ना ही कोई
 कब्जा काश्त है। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थिगण
 के विरुद्ध धरान व परेशान की नियत
 अरुपाई निषेधाजा का प्रार्थिया पेश किया,
 जिले मय खर्चा खारीज फरमावे।

हमने अग्रय पत्रकारान अधिकता की
 बहस सुनी, पत्रावली में सलंगन दस्तावेजों
 का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया
 सुविधा का संतुलन, अप्रार्थिगण कति के लीके
 बिंदु प्रार्थिया के पक्ष में होने से
 प्रार्थिया पत्र स्वीकार योग्य होने से
 स्वीकार किया जाता है।

On 11/11/2018
 सिद्धांत कुमार, सांचौर
 (स. उ. न. 560, 561, 562, 563, 564, 565, 570/3081, 570/3080)

4-6/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	<p align="center">—: आदेश! —</p> <p>धरत: मौजा सांचौर के खेत खसरा नं. 124, 554/3441, 554/3442, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 570/3081, 570/3080 रकबा कुमश: 0.42, 0.26, 0.03, 0.03, 4.13, 3.19, 1.98, 0.01, 2.60, 0.30, 0.45 हेक्टेयर मौजा डूगरा का गौलिया पटवार मण्डल सांचौर के खसरा नं. 1669, 1670, 1671, 1672 रकबा कुमश: 1.11, 1.06, 1.05, 1.09 हेक्टेयर में प्राथमिकता के पक्ष में व अप्राथमिकता के विरुद्ध इस आदेश की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सूचना निलाला लक अप्राथमिकता मौजे व राजस्व रेकॉर्ड की गचास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फौजल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	


 सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपरमह अधिकारी, सांचौर)